tacking different targets all over India.

10. to smuggle fire arms, ammunition, detonators, hand-grenades and high explosive like RDX into India, and distribute the same amongst their men of confidence, for the purpose of terrorising and waging war against the Government of India;

11. to store and conceal such fire arms, ammunition, detonators, hand-grenades and explosives at such safe places with their men of confidence till its use for achieving the objective of the criminal conspiracy and to dispose off the same through men of their confidence;

12. to do and commit any other illegal acts as were necessary for achieving the aforesaid objectives of the criminal conspiracy referred to above through their men of confidence.

(b). Investigation has not disclosed involvement of any politician in the Bombay blast so far.

गृह सचिव द्वारा जारी आदेश

2938. श्री सत्य प्रकाश मालवीय: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के संबंध में गृह सचिव ने गृह मंत्री की विदेश यात्रा के दौरान कोई आदेश जारी किया था;

(ख) क्या आई०पी०एस० अधिकारियों ने इसका काफी विरोध किया था;

(ग) इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) गृह सचिव द्वारा किन परिस्थितियों में उक्त आदेश जारी किया गया और गृह मंत्री ने इसे निरस्त क्यों किया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (घ) जिन राज्यों में पुलिस महानिदेशक स्तर के वरिष्ठ पद का वेतनमान 7600—8000 रु० है उन राज्यों में 7300—7600 रु० के वेतनमान में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के संवर्ग-बाह्य पद के सृजन के बारे में 15.2.1994 को हुई सचिवों की समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, इस मंत्रालय द्वारा 27/31.5.94 को एक पत्र जारी किया गया। सचिवों की समिति के अनुसार, चूंकि इस वेतनमान का पद भा०पु० सेवा की राज्य वेतन अनुसूची में उपलब्ध नहीं कराया गया है, इसलिए इस पद को बनाए रखना अनधिकृत है, और इन पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों को जितनी जल्दी हो सके संवर्ग-पदों पर स्थानांतरित किया जाए और रिक्त पद न होने पर उन्हें पदावनत कर दिया जाये और इस वेतनमान में किसी नए पद की अनुमति न दी जाये। तथापि, परिपत्र जारी होने के बाद, मामले पर पुनः विचार किया गया और गृह मंत्री के स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि संदर्भाधीन परिपत्र में निहित अनुदेशों के अमल पर रोक लगा दी जाए। तदनुसार, 17.6.1994 को परिपत्र जारी किया गया जिसमें राज्य सरकारों को यह सूचित किया गया कि, आगे आदेश देने तक 27/31.5.1994 को गृह मंत्रालय के पत्र में निहित निर्देशों को अस्थगित रखा जाये।

Slaying of US Tourist

2939. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the newsitem entitled "Mystery about slaying of US tourist deepens" appearing in the 'Hindustan Times' of 23rd July, 1994;

((b) if so, the facts thereof; (e) what is the reaction of Government thereto; and

(d) whether there is any proposal to take up again with the US Administration the question of getting Pakistan declared a terrorist country in the wake of the slaying of a US tourist;

(e) if so, the details thereof; and

(f) the reaction of the US Administration?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) to (c) Government are aware of the report. An American national Stephen Paul was